कार्यालय केंन्द्रीय नजारत,जनपद न्यायालय आजमगढ।
नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–2018 में माह नवम्बर, 2017 से मार्च 2018 तक के लिये जनपद न्यायालय आजमगढ की भूमि पर स्थित निम्नलिखित दुकानों की नीलामी दिनांक 24.10.2017 को शाम 04.00 बजे से जनपद न्यायालय आजमगढ के नवीन भवन के "हॉल ऑफ जस्टिस" में सम्पन्न किया जायेगा ।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि ,समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हों ।

नीलाम होने वाली दुकानों का विवरण :–

कम सं0	दुकान/साइकिल स्टैण्ड का नाम	संख्या
01	पी0सी0ओ0	01
02	चाय मीठा की दुकान	01
03	साइकिल मरम्मत	01
04	कम्प्यूटर फोटो /फोटोस्टेट	01

नीलामी की शर्ते निम्नलिखित है :–

1– यह ठेका दिनांक 01.11.2017 से 31.03.2018 तक के लिये वैध होगी ।

2– जिस ठेकेदार के यहाँ ठेके से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा । यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तोइसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी ।

3– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु निर्धारित धनराशि जमानत के रूप मे जमा करना होगा :–

रू0 10,000 तक के लिये	रू0 1,000–00
रू0 10,001 से रू0 25,000 तक के लिये	रू0 2,500–00
रू0 25,001 से रू0 50,000 तक के लिये	रू0 5,000–00
रू0 50,001 से रू0 1,00,000 तक के लिये	रू0 10,000–00
रू0 1,00,001 से अधिक के लिये	बोली का 10 प्रतिशत

बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा ।

4– जिस दुकान के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी उस दुकान की ठेका की आधी धनराशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि को माह दिसम्बर 2017 तक जमा करना होगा । इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा ।

5– जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार,सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा । उपुर्यक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी ।

6– नीलामी में सबसे ऊँची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0– 24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार मानंनीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊँची बोली को निरस्त कर दें तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें ।

7— जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0— 31/एस दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों केद अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात् रू0 100—00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा ।

8— ठेकेदार को अपने दुकान के आस—पास की सफाई स्वयं करनी होगी । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0— 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9— माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण कर सकें ।

10— जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी उसी में दुकान करना होगा ।

11— उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें ।

दिनांक : 7 अक्टूबर, 2017

(संजय कुमार वर्मा)
अध्यक्ष वित्त एवं क्रय तथा नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 3
जनपद न्यायालय आजमगढ़।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित :—</u>

1— नाजिर, कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2— कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3—कार्यालय अधीक्षक पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4—कार्यालय अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5— स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु ।
6— जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने हेतु।
7— जनपद न्यायालय आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
8— जनपद न्यायालय आजमगढ़ की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर को प्रेषित ।
9— माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

दिनांक : 7 अक्टूबर, 2017

(संजय कुमार वर्मा)
अध्यक्ष वित्त एवं क्रय तथा नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 3
जनपद न्यायालय आजमगढ़।